संख्याः 266 चिकित्सा-1-2004-42/2003-टी.सी.

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तरांचल, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 17 फरवरी, 2005

विषय : अति पिछडे एवं दूरस्थ ग्रामीण आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में औषधि आपूर्ति हेतु भारत सरकार के अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-15473/लेखा-1/पु0वि0/2004-05 दिनांक 03 फरवरी, 2005 के क्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004-05 मे संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र के अनुसार आयुर्वेदिक एवं यूनानी विभाग के केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत अति दूरस्थ पिछडे ग्रामीण क्षेत्रों मे आयुर्वेदिक औषधियों के आपूर्ति हेतु 74.06 लाख (रू0 चौहत्तर लाख छः हजार मात्र) व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2- भारत सरकार द्वारा उक्त अनुदानित धनराशि का पूर्ण उपभोग यथासंभव इसी वित्तीय वर्ष मे करते हुये निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार के संबंधित विभाग तथा उत्तरांचल शासन को उपलब्ध कराये जांय।

3- इस धनराशि से क्रय की जाने वाली औषधियां उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिए और क्रय किये जाने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र संबंधित चिकित्सालयों से उपलब्ध करा दी जाय।

4- उक्त धनराशि को संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्रानुसार तत्काल आहरित कर धनराशि का व्यय समय से किये जाने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करें।

5- इस संबंध मे होने वाला व्यय इस वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक मे उल्लिखित धनराशि संलग्न पुनर्विनियोग प्रपत्र के कॉलम-5 में उल्लिखित लेखाशीर्षकों की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा तथा पुनर्विनियोग प्रपत्र कॉलम-1 की बचतों से वहन किया जायेगा।

HC/1168

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0-1570/वित्त अनु0-2/2005 दिनांक 14 फरवरी, 2005 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

संख्या:266 (1)/चिकित्सा-1-2004-42/2003-टी.सी. तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3. वित्त अनुभाग-2 ।
4. गार्ड फाईल/एन.आई.सी.।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव